



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10052022-235677
CG-DL-W-10052022-235677

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2022, शनिवार/वैशाख 4—वैशाख 10, 1944
No. 16] NEW DELHI, APRIL 24—APRIL 30, 2022, SATURDAY/VAISAKH 4—VAISAKHA 10, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 17 फ़रवरी, 2022

सा.का.नि. 60.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, नागालैंड, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रशासनिक अधिकारी के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि

और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, दीमापुर, नागालैंड, में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, दीमापुर, नागालैंड, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	1* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु.56,100-1,77,500)	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए	आवश्यक: अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री। टिप्पण : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के

				गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी।	लिए जो लेखबद्ध किये जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से शिथिल की जा सकती है। अनुभव: केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में प्रशासन या लेखा या स्थापना कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
(i) आयु: लागू नहीं होता। (ii) शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता।	1 वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य में स्तर 9 (53100-167800 रुपये) या स्तर 8 (47600-151100 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है।

			टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर आयुक्त (बागवानी), कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या उप आयुक्त (बागवानी), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 43-09/2020-एमआईडीएच, टेक.-I (ई-90071)]

दिनेश, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 17th February 2022

G.S.R. 60.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of the Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer, in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, Administrative Officer, (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification.— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Qualification: Degree from a recognised University or Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Experience: Three years experience in Administration or	(i) Age: Not applicable (ii) Educational Qualification: Not applicable	1 year.	Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

Accounts or Establishment work in the Central or State Government or Union territories administration or Public Sector Undertaking or Recognised Research Institutes or Recognised Universities or Statutory or Autonomous Organisations. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State Government or Union territories administration or Public Sector Undertaking or Recognised Research Institutes or Recognised Universities or Statutory or Autonomous Organisations; (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 (Rs.53,100-1,67,800) or level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7). Note: Period of deputation (including short-term contract) including period of	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Chairman 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Member 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central govt shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F.No. 43-09/2020-MIDH, Tech-I (E-90071)]

DINESH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फ़रवरी, 2022

सा.का.नि. 61 - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा कैम्पस, दीमापुर, नागालैंड, फ़ील्ड सहायक और आशुलिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, नागालैंड, में फ़ील्ड सहायक और आशुलिपिक श्रेणी-2 (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, कैम्पस, दीमापुर, नागालैंड, फ़ील्ड सहायक और आशुलिपिक श्रेणी-2 (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
फील्ड सहायक	2* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर 4 (रु. 25,500– 81,100)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी विषय में डिग्री या कृषि या उद्यान कृषि में डिप्लोमा। (ii) उद्यान कृषि फसलों और उनके प्रचार गतिविधियों से संबंधित फार्म प्रबंधन में दो वर्ष का अनुभव, अधिमानतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव सम्बन्धी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 3 (रु. 21,700-69,100) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) में सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर आयुक्त (बागवानी), कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक, केन्द्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या उप आयुक्त (बागवानी), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण : विभागीय सदस्य की अनुपस्थिति की दशा में, संबंधित पद रिक्त होने के कारण, कृषि और किसान कल्याण विभाग या सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल, से समतुल्य प्रस्थिति का एक अधिकारी, सदस्य के रूप में कार्य करेगा।	
---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशु लिपिक श्रेणी-2	2* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय।	स्तर 4 (रु.25,500-81,100)।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) कौशल परीक्षण मानक:- श्रुति लेख : 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए प्रतिलेखन: 50 मिनट (अंग्रेज़ी), 65 मिनट (हिंदी) कम्प्यूटर पर। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव सम्बन्धी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 2 (रु. 19,900-63,200/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) में सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर आयुक्त (बागवानी), कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या उप आयुक्त (बागवानी), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण : विभागीय सदस्य की अनुपस्थिति की दशा में, संबंधित पद रिक्त होने के कारण, कृषि और किसान कल्याण विभाग या सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल, से समतुल्य प्रस्थिति का एक अधिकारी, सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

[फा. सं. 43-04/2019-एमआईडीएच, टेक.- I (ई-70841)]

दिनेश, अवर सचिव

New Delhi, the 18th February, 2022

G.S.R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland Field Assistant and Stenographer (Group 'C' posts), Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Field Assistant and Stenographer Grade-II (Group 'C' posts) in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, Field Assistant and Stenographer Grade-II (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grnds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULED

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Field Assistant	2* (2022) (Subject to variation dependent on work-load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	level 4 (Rs.25,500-81,100/-).	Not applicable.	Between 18-27 Years (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (other

					than those in Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pongi-sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether Age and Educational Qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Degree in any subject or Diploma in Agriculture or Horticulture of a recognised University/Institution. (ii) Two years' experience in Farm Management dealing with horticulture crops and their propagation activities, preferably in North East Region. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Schedule Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts <u>reserved</u> for them.	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government; (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (II) with Five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level 3 (Rs. 21,700-69,100/-) in the pay matrix and (B) possessing the qualifications as prescribed for direct recruits in column (7).

Grade from which recruitment by promotion/ absorption, the grades from which promotion or deputation to be made.
(11)
Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare - Chairman 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Member 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala – Member. Note:- In case of absence of Departmental member, on account of concerned post being vacant, an officer of equivalent status from Department of Agriculture and Farmers' Welfare or Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala shall act as Member.	Not applicable.

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade-II.	2* (2022) (Subject to variation dependent on work-load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	level 4 (Rs.25,500-81,100/-).

Whether Selection post or Non- Selection Post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable.	Between 18-27 Years (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pongli-sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining of the age-limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether Age and Educational Qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees
(7)	(8)
Essential : (i) 12 th class pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Skill Test Norms:- Dictation: Ten mts@ eighty w.p.m Transcription: Fifty mts.(English), sixty-five mts.(Hindi) on Computer. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to fill up the vacancy <u>reserved</u> for them.	Not applicable

Period of Probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years	By Direct Recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (II) with eight years' regular service in the post in level 2 (Rs. 19,900-63,200/-) in the pay matrix and (B) possessing the qualifications as prescribed for direct recruits in column (7).

Grade from which recruitment by promotion/ absorption, the grades from which promotion or deputation to be made.
(11)
Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare - Chairman 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture),	Not applicable.

Department of Agriculture and Farmers' Welfare	— Member	
3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala	— Member.	
Note:- In case of absence of Departmental member, on account of concerned post being vacant, an officer of equivalent status from Department of Agriculture and Farmers' Welfare or Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala shall act as member.		

[F. No. 43-04/2019-MIDH, Tech-I (E-70841)]

DINESH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

सा.का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ्रेमा, नागालैंड, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को जहाँ तक उनका संबंध सहायक उद्यान कृषि विशेषज्ञ पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ्रेमा परिसर, दीमापुर, नागालैंड में सहायक उद्यान कृषि विशेषज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ्रेमा परिसर, दीमापुर, नागालैंड, सहायक उद्यान कृषि विशेषज्ञ, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि. - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7
सहायक उद्यान कृषि विशेषज्ञ।	2* (2022) कार्यभार * के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.)।	चयन।	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक : अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में मास्टर डिग्री के साथ उद्यान कृषि या पशु-फसल प्रबंधन में विशेषज्ञता या उद्यान कृषि में मास्टर डिग्री। अनुभव: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी स्वायत्त संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय से उद्यान कृषि विकास या उद्यान कृषि विस्तारण या उद्यान कृषि अनुसंधान या पौधशाला प्रबंध या संरक्षित खेती या पशु-फसल प्रबंधन या पुष्प विज्ञान या वनस्पति उत्पादन के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी

						प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10
नहीं	प्रोन्नत व्यक्तियों या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: सभी सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित कम से कम दो सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित है।	67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
11	
प्रोन्नति: ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400/- रु0) में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कृषि या उद्यान कृषि के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी स्वायत्त या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्था के अधीन ऐसे अधिकारी:	

- (अ) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
 (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53,100-1,67,800/- रु0) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47,600-1,51,100/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या
 (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; और
 (आ) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2 अपर आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3 निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या उप-आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4 निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 अपर आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2 निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या उप-आयुक्त (उद्यान कृषि),	

कृषि और किसान कल्याण विभाग	- सदस्य	
3 निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल	- सदस्य	

[फा. सं. 43-09/2020 एम आइ डी एच, प्रौ.-1(ई-90071)]

दिनेश, अवसर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2022

G.S.R. 62.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of the Assistant Horticulture Specialist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Horticulture Specialist, in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, Assistant Horticulture Specialist, (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Horticulture Specialist.	3* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	level 10 (Rs.56,100-1,77,500/-).	Selection.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government Servants upto five years in

					accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Qualification: Master Degree in Agriculture with specialization in Horticulture or Post Harvest Management or Master Degree in Horticulture from a recognised University or Institute. Experience: Three years experience in the field of Horticultural Development or Horticultural Extension or Horticultural Research or Nursery Management or Protected Cultivation or Post Harvest Management or Floriculture or Vegetable Production from Central Government or State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertaking or Statutory Autonomous Organization or recognised research institution or Universities. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these	No	Two years for promotees or direct recruits. Note: All direct recruits are required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	67 % by Direct Recruitment. 33 % by Promotion failing which by Deputation (including short- term contract).

communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for the.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Technical Assistant with eight years of regular service in level 6 (Rs.35,400-1,12,400/-) in the pay matrix and having successfully completed two to four weeks training programme in the field of Agriculture or Horticulture from a recognised institution. Note 1: Eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State Government or Union Territory or Public Sector Undertaking or Statutory Autonomous organisation or recognised Universities or research institution: (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- - Chairman or Member Union Public Service Commission -Chairman - Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare -Member - Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare - Member - Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- - Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare - Chairman - Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare - Member - Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(II) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 (Rs. 53100-167800/) or level 8 (Rs. 47,600-1,51,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (III) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
---	--	--

[F.No. 43-09/2020-MIDH, Tech-I (E-90071)]

DINESH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ़ेमा, नागालैंड, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को जहाँ तक उनका संबंध उद्यान कृषि विशेषज्ञ पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और

किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ्रेमा परिसर, दीमापुर, नागालैंड में उद्यान कृषि विशेषज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ्रेमा परिसर, दीमापुर, नागालैंड, उद्यान कृषि विशेषज्ञ, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि. - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
1	2	3	4
उद्यान कृषि विशेषज्ञ	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700/- रु.)

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।
5	6	7
चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक : अर्हता : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में मास्टर डिग्री के साथ उद्यान कृषि या पशु-फसल प्रबंधन में विशेषज्ञता या उद्यान कृषि में मास्टर डिग्री। (ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्हित-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अनुभव: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी स्वायत्त संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय से उद्यान कृषि विकास या उद्यान कृषि विस्तारण या उद्यान कृषि अनुसंधान या पौधशाला प्रबंध या संरक्षित खेती या पशु-फसल प्रबंध या पुष्पविज्ञान या वनस्पति उत्पादन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : सभी सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिचीक्षा को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित कम से कम दो सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित है।	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा।

**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती
की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**

11

प्रोन्नति: ऐसे सहायक उद्यान कृषि विशेषज्ञ जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रु. 56,100-1,77,500/-) में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से उद्यान कृषि के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी स्वायत्त संगठन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्था के अधीन ऐसे अधिकारी:

(अ) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रु. 56,100-1,77,500/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

(आ) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

टिप्पण – 1 प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण – 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण – 3 पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 उद्यान कृषि आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग -अध्यक्ष 2 निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या अपर आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3 निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 उद्यान कृषि आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2 निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या अपर आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग -सदस्य 3 निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल -सदस्य	सीधे भर्ती और प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) पर अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 43-09/2020 एम आइ डी एच, प्रौ.-1(ई-90071)]

दिनेश, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2022

G.S.R. 63.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of the Horticulture Specialist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Horticulture Specialist, in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, Horticulture Specialist, (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Horticulture Specialist.	2* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	level 11 (Rs.67,700-2,08,700/-).	Selection.	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Qualification: (i) Master Degree in Agriculture with specialization in Horticulture or Post Harvest Management or Master Degree in Horticulture from a recognised University or Institute; (ii) Qualified the Indian Council of	No	Two years for direct recruits. Note: All direct recruits are required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as	50 % by direct recruitment. 50 % by promotion failing which by deputation

Agricultural Research – National Eligibly Test. Experience: Five years experience in the field of Horticultural Development or Horticultural Extension or Horticultural Research or Nursery Management or Protected Cultivation or Post Harvest Management or Floriculture or Vegetable Production from Central Government or State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertaking or Statutory Autonomous Organisation or recognised Research Institution or Universities. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		prescribed by the competent authority, for completion of probation.	(including short term contract).
--	--	--	---

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Horticulture Specialist with five years of regular service in level 10 (Rs.56,100-1,77,500/-) in the pay matrix and having successfully completed two to four weeks training programme in the field of Horticulture from a recognised institute. Note 1: Eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Horticulture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Chairman 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Member 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).

senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State Government or Union Territory Administration or Public Sector Undertaking or Statutory Autonomous organisation or recognised Universities or Research Institution: (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Horticulture Commissioner, Department of Agriculture and Farmers' Welfare –Chairman 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare –Member 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala –Member.	
--	--	--

promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
---	--	--

[F. No. 43-09/2020-MIDH, Tech-I (E-90071)]

DINESH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ्रेमा, नागालैंड, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ्रेमा परिसर, दीमापुर, नागालैंड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफ्रेमा परिसर, दीमापुर, नागालैंड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.** - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1	2	3	4
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
5	6	7
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक : अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान कृषि या कृषि में मास्टर डिग्री। अनुभव: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी स्वायत्त संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय से उद्यान कृषि विकास या उद्यान कृषि विस्तारण या उद्यान कृषि अनुसंधान या पौधशाला प्रबंध या संरक्षित खेती या पशु-फल प्रबंध या पुष्प विज्ञान या वनस्पति उत्पादन के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : सभी सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित कम से कम दो सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित है।	सीधी भर्ती टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी; (अ) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-5 (रु.29,200-1,12,400/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
11
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 अपर आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2 निदेशक, केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, नागालैंड या उप-आयुक्त (उद्यान कृषि), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3 निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल या निदेशक, काजू और कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 43-09/2020 एम आइ डी एच, प्रौ.-1(ई-90071)]

दिनेश, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2022

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of the Senior Technical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Group 'B' post), in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Campus, Dimapur, Nagaland, Senior Technical Assistant, (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted the marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Technical Assistant	2* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	level 6 (Rs.35,400-1,12,400/-).	Not Applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti District

					and Pongi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Qualification: Master Degree in Horticulture or Agriculture from a recognised University or Institute. Experience: One year experience in the field of Horticultural Development or Horticultural Extension or Horticultural Research or Nursery Management or Protected Cultivation or Post Harvest Management or Floriculture or Vegetable Production from Central Government or State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertaking or Statutory Autonomous Organization or recognised research institution or Universities. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons	Not Applicable.	Two years for direct recruits. Note: All direct recruits are required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-1,12,400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Chairman 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare – Member 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 43-09/2020-MIDH, Tech-I (E-90071)]

DINESH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय विभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल/डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन शिक्षा और अनुसंधान, पोंडिचेरी (परिचर्या सिस्टर और स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 1997, जहां तक उनका संबंध परिचर्या सिस्टर के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग

मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता-** वह व्यक्ति,-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी	183* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कार्यरत परिचर्या अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रुपये) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग/मंत्रालय द्वारा निर्धारित संगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(ii) मुख्य परिचर्या अधिकारी या परिचर्या अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन - सदस्य (iv) उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य ।	
--	--

[फा सं. ए.11018/19/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Directorate General of Health Services)**

New Delhi, the 25th April, 2022

G.S.R. 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital/ Dr. Ram Manohar Lohia Hospital/ Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital /Kalawati Saran Education and Research, Pondicherry (Nursing Sister and Staff Nurse) Recruitment Rules, 1997 in so far as it relates to the post of Nursing Sister, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Nursing Officer in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Senior Nursing Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay-matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

2. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Nursing Officer.	183* (2022) *subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	100 per cent by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Nursing Officer working in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital with two years of regular service in level-7 in the pay matrix (44900-142400) and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant field to be prescribed by the Directorate General of Health Services/Ministry of Health and Family Welfare. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by	Group 'B' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman 2. Chief Nursing Officer or Nursing Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member 3. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section of Directorate General of Health Services -Member 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi. -Member.	Consultation with UPSC is not Necessary.

more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
---	--	--

[F. No. A.11018/19/2019-MH.II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन प्रभाग आशुलिपिक श्रेणी I, श्रेणी II और श्रेणी III भर्ती नियम, 2006, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन प्रभाग में आशुलिपिक श्रेणी-II (उन्नत आशुलिपिक श्रेणी-3 और आशुलिपिक श्रेणी-2 के रूप में पुनः अभिहित) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन प्रभाग, आशुलिपिक श्रेणी-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - वह व्यक्ति--**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक श्रेणी- II	07* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25,500 – 81,100 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य 2. निपुणता परीक्षण सन्निपम :श्रुत्रलेख 10 मिनट @ 80 डब्लू.पी.एम प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी) (हस्तचालित टाइपराइटर) या 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 100 प्रतिशत। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के	लागू नहीं होता

कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगीं जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पृष्ठिकरण समिति (पृष्ठिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग - अध्यक्ष 2. उप-निदेशक (प्रशासन), प्रकाशन प्रभाग - सदस्य 3. उप-निदेशक, प्रकाशन प्रभाग - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं. एम-28011/7/2019- आई.पी.एवं.एम.सी.]

न. सनतोम्बा सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th April, 2022

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Information and Broadcasting, Publications Division Stenographer Grade-I, II and III, Recruitment Rules, 2006, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III, except as respects, things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II (Stenographer Grade-III upgraded and re-designated as Stenographer Grade-II) in Publications Division under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Publications Division, Stenographer Grade-II (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Pay level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II.	07* (2022) *(subject to variation of workload).	General Central Service, Group C, Non Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4. (Rs.25,500 - 81,100)	Not applicable.	18 - 27 years. (Relaxable for Govt servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
1. 12 th class pass or equivalent from a recognized Board or University. 2. Skill Test Norms: Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 65 mts (Eng.), 75 mts (Hindi) (on manual typewriter) Or 50 mts (Eng.), 65 mts (Hindi) (on computer)	Not applicable.	Two years.	100% direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst the officials of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column(7).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, Publications Division -Chairman 2. Deputy Director (Administration), Publications Division - Member 3. Deputy Director, Publications Division -Member	Not applicable.

[F. No. M-28011/7/2019-IP&MC]

N. SANATOMBA SINGH, Under Secy.